राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकःप.2(2)वित्त.1(1)आ.व्य./1972 जयपुर, दिनांक : 19 मई, 2016

परिपत्र

विषय : राजस्थान आकस्मिकता निधि से अग्रिम।

राज्य की आकस्मिकता निधि, भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित की गई है। इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम 1957 बनाये गये है।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम उन परिस्थितियों में व्ययों की पूर्ति के लिये दिया जा सकता है जहां (1) वार्षिक/अनुपूरक बजट में प्रावधान नहीं किया जा सका हो, (2) व्यय का पूर्वानुमान नहीं हो सका हो और (3) विधान सभा से प्राधिकार प्राप्त होने तक व्यय स्थगित नहीं किया जा सकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में निरन्तर यह आक्षेप लिया जा रहा है कि विभागों द्वारा आकस्मिकता निधि संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। विधान सभा की जनलेखा समिति द्वारा भी इसे गंभीरता से लिया गया है तथा समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि आकस्मिकता निधि से दिये जाने वाले अग्रिम के प्रकरणों में लागू राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम के प्रावधानों की पुख्ता अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

अतः इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों के अतिक्रमण में राजस्थान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत कराये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

(1) समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम 1956, राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम 1957 एवं बजट नियमावली में दिये गये प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रशासनिक विभाग, आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिये आवेदन करने से पूर्व, विभागीय आवश्यकता की भली–भाँति जांच करेंगे तथा स्वीकृत कराये जाने वाले अग्रिम के व्यय हेतु आवश्यक समस्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही यथा प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, स्थान का चयन आदि पूर्ण करने के उपरान्त ही अग्रिम के लिये आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित अग्रिम का पूर्ण व्यय अनुपूरक अनुदान से प्रतिपूर्ति किये जाने से पूर्व कर लिया जावेगा। प्रशासनिक विभाग अनुपूरक अनुदान की मांगों की स्वीकृति होने की अवधि तक के लिये ही आवश्यक अग्रिम राशि की मांग करेंगे।

(4) प्रशासनिक विभाग आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि का उपयोग, वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति में अंकित तिथि से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) प्रशासनिक विभाग आकस्मिकता निधि में से स्वीकृत कराये गये अग्रिम के व्यय की मासिक समीक्षा करेंगे। आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मंजूरी के आदेश जारी किये जाने के पश्चात् और नियम 6 के अनुसार कार्यवाही किये जाने से पूर्व यदि यह पाया जावे कि मंजूर किये गये अग्रिम का पूर्णतः या अंशतः उपयोग नहीं किया जा सकेगा तो अग्रिम स्वीकृति की आज्ञा को निरस्त कराने या संशोधित कराने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

(6) आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम के पेटे जो व्यय किया जावे वह मद 8000– आकस्मिकता निधि को प्रभार्य होना चाहिये। बजट नियंत्रण अधिकारी आकस्मिकता निधि के व्ययों का महालेखाकार कार्यालय के लेखों से मासिक अंक मिलान करेंगे।

(7) प्रशासनिक विभाग आकस्मिकता निधि से स्वीकृति कराये गये अग्रिम से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, अनुपूरक अनुदान से कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

(8) आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा हेतु शासन सचिव, वित्त (बजट) के स्तर पर संबंधित प्रशासनिक विभाग के साथ प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर बैठक आयोजित की जावेगी।

(9) प्रतिवर्ष बजट निर्णायक समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि आकस्मिकता निधि से उस वर्ष में स्वीकृत की गई अग्रिम राशि के उपयोग के संबंध में पूर्ण विवरण से बजट निर्णायक समिति को अवगत करायेंगे।

(प्रेम सिंह मेहरा) 18/05/16
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।

निदेशक, वित्त (बजट)

6/2016